# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2026 (माघ 28, शक संवत् 1947)

### विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

## 1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गए : -

(1) श्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन,

(2) श्री सुरेश कलमाडी, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,

(3) श्री कन्हू चरण लेंका, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,

(4) दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को असम में हुए हादसे में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के शहीद जवान तथा

(5) दिनांक 22 जनवरी, 2026 को जम्मू संभाग में सैन्य वाहन के खाई में गिरने से सेना के शहीद जवान एवं अनेक हताहत जवान.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:23 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

## 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 102 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 123 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

## 3. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में डॉ. गौरीशंकर शेजवार, पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष तथा श्रीमती भारती पारधी, सांसद बालाघाट की उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया.

## 4. नियम 267-क के अधीन विषय एवं तत्संबंधी अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणानुसार की गई कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 15 सूचनाएं नियम 267- क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है, ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के मझगवां माइक्रो सिंचाई योजना का विस्तार न किये जाने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में फैली अराजकता के संबंध में,

(3) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने जिला भिण्ड में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार कर फर्जी आर्म्स लायसेंस जारी किये जाने,

(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम क्षेत्र के ग्राम निमसाडिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति लंबित होने,

(5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने जिला मैहर में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन का निर्माण पूर्ण न होने,

(6) श्री विपीन जैन, सदस्य ने महू नीमच लेबड़ फोरलेन के निर्माण में सर्विस लेन को बढ़ाये जाने,

(7) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत ग्राम हिनोतिया से शिनावल तक सड़क को हेवी ट्राफिक योजना में शामिल किये जाने,

(8) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नरयावली में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें समय पर न खोले जाने,

(9) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य ने बिजावर के अन्तर्गत ग्राम कोडन एवं बाकी गिरोली के बीच बहने वाली बराना नदी पर पुल-पुलिया का अतिशीघ्र निर्माण किये जाने,

(10) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने भावान्तर योजना अन्तर्गत बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा फसलों का विक्रय कर योजना का अनुचित लाभ उठाये जाने,

(11) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त सुविधा न मिल पाने,

(12) श्री महेश परमार, सदस्य ने स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना होने,

(13) श्री मधु भगत, सदस्य ने परसवाड़ा विकास खंड अन्तर्गत बगली पाठ माइक्रो एरिगेशन सिंचाई परियोजना को शीघ्र प्रारंभ कराये जाने,

(14) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने नीमच वि.स. के विभिन्न ग्रामों में संचालित विद्युत ट्रांसफार्मरों से आयल चोरी होने तथा

(15) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने दीनदयाल अत्योंदय योजना में विगत 10 वर्षों से गठित महिला समूहों को अनुदान राशि न मिलने संबंधी।

नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

## 5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** द्वारा, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखा गया.

(2) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** द्वारा, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2004) की धारा 12 की उपधारा (4) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 21 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(3) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2024-2025 पटल पर रखे गए.

(4) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्य मंत्री, संस्कृति (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उप धारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) एन.एच.डी.सी लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं

(ख) नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखे गए.

(5) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** द्वारा, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 21 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

## 6. फरवरी, 2024 से दिसम्बर, 2025 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 6 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी, 2024 से दिसम्बर, 2025 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-6 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 7. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 8. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे.

| क्र | राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक | अधिनियम |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) | अधिनियम क्रमांक-25 सन् 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) | अधिनियम क्रमांक-26 सन् 2025 |
| 3. | मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) | अधिनियम क्रमांक-27 सन् 2025 |
| 4. | मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) | अधिनियम क्रमांक-28 सन् 2025 |
| 5. | मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) | अधिनियम क्रमांक-29 सन् 2025 |

## 9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2026 को सम्पन्न हुई, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु 6 घण्टे का समय निर्धारित किये जाने की सिफारिश की गई है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़ कर सुनाई, उसे सदन स्वीकृति देता है.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

## 10. ध्यानाकर्षण

(1) **सर्वश्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य** ने राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की निरन्तर बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री राजन मण्डलोई, श्री अरिफ मसूद, डॉ. सीतासरन शर्मा, डॉ. राजेन्द्र पांडेय, श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, श्री अजय विश्नोई, श्री गोपाल भार्गव सदस्यगण एवं श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप-मख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने भी चर्चा में भाग लिया.

## 11. अध्यक्षीय घोषणा

### भोजनावकाश न होना विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ‘‘आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ध्यानाकर्षण के पश्चात् प्रारंभ होगी जिसके कारण भोजनावकाश नहीं होगा, सभी सदस्यों के लिए भोजन लॉबी में उपलब्ध रहेगा, आप सभी अपनी-अपनी सुविधानुसार भोजन प्राप्त कर सकते है.’’

(2) **श्री जयंत मलैया, सदस्य** ने दमोह जिले के अंतर्गत सीतानगर मध्य सिंचाई परियोजना की मूल डी.पी.आर. में परिवर्तन की जांच किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.श्री तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री सूर्य प्रकाश मीणा ने भी चर्चा में भाग लिया.

## 12. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 188-राजपुर (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री बाला बच्चन को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2026 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

## 13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति ने याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री महेन्द्र हार्डिया, सभापति ने पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम् एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 14. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री विजय रेवनाथ चौरे (जिला-**छिन्दवाड़ा**)(जिला-**पांढुर्णा**)**
(2) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया**)**
(3) **श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-**पन्ना**)**
(4) **श्री केशव देसाई (जिला-**भोपाल**)**
(5) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार**)**
(6) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-**शाजापुर**)**
(7) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**विदिशा**)**
(8) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी**)**
(9) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**राजगढ़**)**
(10) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना**)**
(11) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़**)**
(12) **श्री प्रदीप पटेल (जिला-**मऊगंज**)**
(13) **डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-** नर्मदापुरम**)**
(14) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम**)**
(15) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा**)**
(16) **श्रीमती रीती पाठक (जिला-**सीधी**)**
(17) **श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-**छतरपुर**)**
(18) **श्री हरि सिंह सप्रे (जिला-**विदिशा**)**
(19) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड**)**

## 15. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

**श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** द्वारा प्रस्ताव किया गया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.**

## 16. निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि इस संबंध में निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 को मध्याह्न 12.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती हैं.
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र' विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

## 17. वर्ष 2025-2026 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

**श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** द्वारा वर्ष 2025-2026 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए 23 फरवरी, 2026 को 2 घंटे का समय नियत किया गया.

## 18. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 16 फरवरी 2026 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर (1) श्री अजय विश्नोई प्रस्तावक सदस्य ने प्रारंभिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

## 19. अध्यक्षीय निर्देश

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय अधिकारी दीर्घा में विभागीय अधिकारियों को उपस्थित रहने संबंधी निर्देश

अध्यक्ष महोदय द्वारा उप मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि अधिकारी चर्चा के समय अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें.

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

## 20. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास माननीय सदस्यों के संशोधनों की 1093 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है. संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के हैं इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जाएंगे. निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

| क्र. | सदस्य का नाम | संशोधन क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | श्री सोहनलाल बाल्मीक | 3 |
| 2. | श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी | 6 |
| 3. | श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर | 8 |
| 4. | डॉ. हिरालाल अलावा | 10 |
| 5. | श्री फुन्देलाल सिंह मार्को | 12 |
| 6. | श्रीमती अनुभा मुंजारे | 14 |
| 7. | श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर | 16 |
| 8. | श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे | 18 |
| 9. | श्री राजन मण्डलोई | 20 |
| 10. | श्री अभय मिश्रा | 21 |

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस
(3) श्री फूल सिंह बरैया
(4) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

(5) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(6) डॉ. सीतासरन शर्मा
(7) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा
(8) श्री रामेशवर शर्मा
(9) श्री अभय मिश्रा
(10) श्री गिरीश गौतम

{सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुईं}

(11) डॉ. हिरालाल अलावा
(12) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(13) श्री महेश परमार
(14) श्री अनिरूद्ध माधव मारू
(15) श्री दिनेश जैन बोस

## 21. अध्यक्षीय घोषणा

### सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था संबंधी

सभापति महोदया द्वारा घोषणा की गई कि, ''माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.''

## 22. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (कमश:)

(16) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(17) श्री मधु भगत

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(18) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(19) श्रीमती रीती पाठक

## 23. अध्यक्षीय घोषणा

### सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन के समय में एक घण्टे की वृद्धि की जाए.

(20) श्री भैरो सिंह बापू
(21) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड
(22) श्री लखन घनघोरिया
(23) श्री दिलीप सिंह परिहार

अपराह्न 06:28 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 (माघ 29, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक: 17 फरवरी, 2026

.......................................